न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(क) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 03/2024

1. प्रहलाद सिंह पुत्र सैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रेवन्तसिंह पुत्र सैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेमसिंह पुत्र सैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रघुनाथसिंह पुत्र सैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—आवेदकगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट, निवासी सं. 08 साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सं. 08 साकिन रायसिंह पुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सरपंच ग्राम पंचायत दलपतपुरा जरिये सरंपच ग्राम पचांयत दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

—अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: Self Attested

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ता 3

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–04

निर्णय दिनांकः– 15.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा बखिलाफ निर्णय दिनांक 28/07/2023 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जिसकी रूह से अपील संख्या 05/2023 बअनवानी बुधराम आदि बनाम सैतानसिंह आदि स्वीकार की जाकर निगरानी कर्ता के पिता के नाम से जारी पट्टा सं. 9 दिनांक 18.12.1969 में पश्चिमी हिस्सा, जो उतरी तरफ 50 फीट माप व दक्षिणी तरफ 40 फिट माप का व पट्टा दिनांक 13.07.1969 में से पश्चिमी तरफ का हिस्सा उतरी तरफ 40 फीट व आगे चलकर दक्षिणी तरफ 20 फिट माप का खारिज किया गया, को अपास्त करवानें बाबत् निगरानी प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

अनावेदक सं. 1 ता 2 की तरफ से अपील सं. 5/2023 इस आशय की प्रस्तुत की गई आबादी भूमि दलपतपुरा, रायसिंहपुरा में रास्ता, जो मुख्य सड़क नोहर साहवा से शुरू होकर दलपतपुरा के चौगान से होता हुआ रायसिंहपुरा की आबादी भूमि में से आगे गांव लाखासर जाने का है, जो रास्ता सदामत से गांव के लोगो व आने–जाने वाले प्रत्येक नागरिक के उपयोग में लिया जाता रहा है। उक्त रास्ता की जगह को शामिल करते हुऐ प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 से साज–बाज कर कतई नियम विरूद्व पंचायत राज के अज्ञापक प्रावधानो के खिलाफ अपीलाधीन पट्टे जारी करवा रखे है और अपने पट्टो की आड़ में उक्त सार्वजनिक हितार्थ रास्ता आम की भूमि पर जबरदस्ती दिनांक 23.01.2023 को श्री शैतान सिंह के वारिसान ने अतिक्रमण करते हुऐ करीब 3–4 फिट ऊँची दीवार तामिर कर ली है। इसलिए गांव रायसिंहपुरा के समस्त वासिन्दागण द्वारा सार्वजनिक हितार्थ अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में जारी उक्त अपीलाधीन पट्टो के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया हुआ है। आबादी भूमि दलपतपुरा रायसिंहपुरा में मुख्य रास्ता जो गांव के लोगो का आने–जाने वाले प्रत्येक नागरिक के उपयोग–उपभोग का है, जो गांव के वासिन्दागण के सार्वजनिक हित का है। दिनांक 23.01.2023 को श्री शैतानसिंह के वारिसान ने उक्त रास्ता आम हित की भूमि को अपने भूखण्ड से मिलाते हुऐ रास्ता आम बन्द कर दिया है। जिस पर अपीलार्थीगण व अन्य मौजिज व्यक्तिगण उक्त रास्ता आम की भूमि को बन्द करने का उलाहन दिया, तो प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान ने अपीलार्थीगण व अन्य मौजिज व्यक्तिगण का मौका पर अपने पक्ष में दी अलग–अलग पट्टो की प्रतिया दी व उक्त पट्टो के आधार पर रास्ता आम की भूमि को अपने भूखण्ड में मिलाते हुऐ पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी। जिस पर अपीलार्थीगण व गांव के अन्य मौजिज व्यक्ति प्रत्यर्थी सं. 2 के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान द्वारा दिये पट्टो बाबत जानकारी चाहने व पट्टो की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने व प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही हेतु उपस्थिति हुऐ, तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने ऐसे पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किये जाने होना बताया। उनके खिलाफ कार्यवाही नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की जिस पर अपीलार्थीगण व गावं के अन्य मौजिज व्यक्ति दिनांक 26.01.2023 को प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान से मिले व उसे उनके द्वारा दिये पट्टो की प्रतियों का अवलोकन करने के बाद तथा ग्राम पंचायत से जानकारी चाहने के बाद उक्त पट्टे भौतिक स्थिति की जॉच किये बिना घर बैठे हुऐ बनाये गये होना तथा उक्त पट्टो के नाप अनुसार उक्त पट्टे गली आम की भूमि पर के बने होना कहते हुऐ पट्टे खारिज करवाने का कहा व रास्ता आम की भूमि पर निकाली गई दीवार को हटाने का कहा तो प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान के जल्द ही उक्त दीवार हटाकर रास्ता आम को पूर्व की स्थिति अनुसार खाली करने का आश्वासन दिया परन्तु उसके बाद ही प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान ने रास्ता आम की भूमि पर दीवार निकाल कर किये गये अतिक्रमण को नही हटाया, जिस पर अपीलार्थीगण व गांव के अन्य मौजिज व्यक्ति प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान से मिले तो पहले तो वे उक्त अतिक्रमण को हटाने व रास्ता आम की भूमि को खाली करने का आश्वासन देते रहे अन्त में दिनांक 05.02.2023 को उक्त अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर दिया तथा अपने पट्टो के आधार पर उक्त रास्ता आम की भूमि को शामिल करते हुऐ पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी। अपीलाधीन पट्टे पंचायती राज अधिनियम के नियम 266 के तहत जारी शुदा है। उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत की खाली पड़ी आबाद भूमि को निलामी द्वारा विक्रय किया जा सकता है जबकि पट्टे सदामत से चले आ रहे रास्ता आम की भूमि के शामिल करते हुऐ जारी किये गये है। कानूनन रास्ता आम की भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन पट्टे पंचायत राज नियम के आज्ञापक प्रावधानो के खिलाफ व अवैधानिक रूप से जारी होने से रास्ता आम की भूमि तक खारिज योग्य है। उक्त रास्ता आम की भूमि पर दीवार निकाल लेने से रास्ता को अवरूद्व कर देने से न केवल अपीलार्थीगण वरना गांव के प्रत्येक वासिन्दगान व उत रास्ता से आने-जाने वाले प्रत्येक नागरिक रास्ता आम की भूमि का उपयोग-उपभोग करने से वंचित हो रहे है। इसलिए उक्त अपीलाधीन पट्टो को रास्ता आम की भूमि तक में के माप में खारीज करते हुऐ प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान द्वारा रास्ता आम की भूमि पर किये गये अस्थाई अवरोध को हटाया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान को यह अच्छी तरह से ज्ञान है कि अपीलाधीन पट्टे रास्ता आम की भूमि को शामिल करते हुऐ बने हुए है। उक्त रास्ता आम की भूमि सार्वजनिक हित की है। जिस [illegible] का कभी कब्जा नही रहा है। उक्त रास्ता आम की भूमि पर से पेयजल हेतु ग्राम [illegible] द्वारा पाईपे भी डाली हुई है। उक्त रास्ता आम की भूमि के पास निवास करने वाले वाशिंदगान को उक्त पानी की पाईपो से पेयजल हेतु कनैक्शन भी दिये हुऐ है व उक्त गली आम की भूमि में से विधुति सुविधा हेतु विधुत लाईन भी जाती है। विधुत के पोल लगे हुऐ है। जिन पर से वाशिदगान के विधुत सम्बध भी है। उक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्यर्थी सं. 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

के पक्ष में उक्त पट्टे गलत जारी किये गये है। इसलिए अपीलाधीन पट्टों को रास्ता आम की भूमि के माप तक निरस्त किया जावे। अपीलाधीन पट्टो का ज्ञान अपीलार्थीगण को प्रथम बार प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान द्वारा दिनांक 23.01.2023 को पट्टो की प्रति देने पर हुआ है। जिस अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को उक्त पट्टो की प्रमाणित प्रति चाही गई, जो उन्हें ग्राम पचायत रिकार्ड में नही होने से नही मिल सकी। इसलिए समस्त ग्रामवासी रायसिंहपुरा दलपतपुरा की और से लोकहितार्थ अपीलार्थीगण द्वारा बिना किसी अनावश्यक देरी के अपील पेश की जा रही है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने उक्त अपील अपीलाधीन पट्टों की जानकारी से मियाद में मानकर दर्ज करते हुऐ पट्टा खारिज करने का निवेदन किया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पेश अपील को दर्ज की जाकर पक्षकारान को सुनवाई नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान को सुनवाई के अवसर प्रदान कर उभय पक्ष को सुना एवं मौका निरीक्षण कमेटी को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया ।

अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थीगण ने अपील में विर्णत तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि उन्होने यह अपील सार्वजनिक हित में पेश की है। आबादी भूमि दलपतपुरा रायसिंहपुरा में मुख्य रास्ता, जो गांव के लोगो व आने–जाने वाले प्रत्येक नागरिक के उपयोग–उपभोग का है जो गांव के बाशिन्दगान के सार्वजनिक हित का है। दिनांक 23.01.2023 को श्री शैतानसिंह के वारिसान ने उक्त रास्ता आम सार्वजनिक हित की भूमि को अपने भूखण्ड में मिलाते हुऐ बन्द कर दिया। जिस पर अपीलार्थीगण व अन्य मौजिज व्यक्तिगण उक्त रास्ता आम की भूमि को बन्द करने का उलाहना दिया तो भी शैतानसिंह के वारिसान ने अपीलार्थीगण व अन्य मौजिज व्यक्तियों को मौका पर अपने पिता शैतान सिंह के पक्ष में जारी दो अलग –अलग पट्टो की प्रतियाँ दी तथा धमकी दी की इन पट्टो के आधार पर रास्ता आम की भूमि पर पुख्ता निर्माण करेगे । जिस पर अपीलार्थीगण व गांव के अन्य मौजिज व्यक्ति सरपच ग्राम पचांयत से मिले व उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही हेतु कहा तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने भी शैतानसिंह के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किये होना बताया परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की। अपीलार्थीगण व गांव के अन्य मौजिज व्यक्तियों ने पट्टो की प्रतियों का अवलोकन किया तो पता चला कि ग्राम [illegible] ने उक्त पट्टे भौतिक स्थिति की जाँच किये बिना घर बैठे बना[illegible]नुसार उक्त पट्टे गली आम की भूमि पर के बने है इसलि[illegible] करवाने व रास्ता आम की भूमि पर निकाली गई दीवार को हटाने का कहा त[illegible]तानसिंह के वारिसान ने पहले तो दीवार हटाने का आश्वासन दिया परन्तु बाद में दीवार हटाने व पट्टे खारिज करवाने से इन्कार कर दिया व पट्टो के आधार पर उक्त रास्ता आम की भूमि को शामिल करते हुऐ पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी। अपीलाधीन पट्टे नियम 266 राज. प. एवं न्याय प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भादरा (हनुमानगढ़)

सा. नि. 1961 के तहत जारी शुदा है। उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत की खाली पड़ी आबाद भूमि को निलामी द्वारा विक्रय किया जा सकता है जबकि पट्टे सदामत से चले आ रहे रास्ता आम की भूमि को शामिल करते हुऐ बने हुऐ है जबकि कानूनन रास्ता आम की भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन पट्टे पचांयती राज नियम के आज्ञापक प्रावधानो के खिलाफ है। जो रास्ता आम की भूमि तक के खारिज करने योग्य है। उक्त रास्ता आम की भूमि पर दीवार निकाल लेने से व रास्ता को अवरूद्व कर देने से व केवल अपीलार्थीगण वरना गांव के प्रत्येक वाशिदगान व उक्त रास्ता से आने जाने वाले प्रत्येक नागरिक रास्ता आम की भूमि का उपयोग–उपभोग करने से वंचित हो रहे है। इसलिए उक्त अपीलाधीन पट्टो को रास्ता आम की भूमि तक के माप में खारिज करते हुऐ प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान द्वारा रास्ता आम की भूमि पर किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा अवरोध को हटाया जाना आवश्यक है प्रत्यर्थी सं. 1 के वारिसान को यह अच्छी तरह से ज्ञान मे है कि अपीलाधीन पट्टे रास्ता आम की भूमि को शामिल करते हुऐ बने हुऐ है। उक्त रास्ता आम की भूमि सार्वजनिक हित की है, जिस पर श्री शैतानसिंह या उनके वारिसान का कभी कब्जा नही रहा हैं उक्त रास्ता आम की भूमि पर से पैयजल हेतु ग्राम पचायत द्वारा पाईपे भी डाली हुई है तथा जिनसे पेयजल हेतु कनैक्शन भी दिये हुऐ है व उक्त गली आम की भूमि में से विधुत सुविधा हेतु विधुत लाईन भी जाती है व विधुत के पोल लगे हुऐ है जिन पर से वाशिदागान के विधुत सम्बध भी है । इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 1 के पट्टे गलत जारी किये गये है इसलए अपीलाधीन पट्टो को रास्ता आम की भूमि के माप तक निरस्त किया जावे। अपीलार्थीगण ने अपील के समर्थन में अपने–अपने शपथ पत्र अपीलधीन पट्टो की प्रतिया अपील के साथ पेश की है।

अपील की सुनवाई के दौरान प्रर्थी सं. 1 शैतानसिंह का पुत्र रघुनाथ सिंह उपस्थित आया जिसने भी शैतानसिंह की काफी समय पूर्व मृत्यु होना बताया तथा वादग्रस्त जगह अपनी होना बताते हुऐ अभिकथन किया कि अपीलाधीन दोनो पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर श्री सैतानसिंह के पक्ष में कीमतन जारी किये गये है तथा शैतानसिंह द्वारा पट्टा जारी होने के तुरन्त बाद अपनी पट्टे शुदा भूमि पर कोई निर्माण नही किया। जिस पर [illegible] तरफ सड़क आम की भूमि व उनके पट्टे की भूमि को [illegible] पुत्र श्री अमीलाल के निर्माण कर लिया व जयसिंह ने अपनी [illegible] उनकी पट्टा की भूमि में से रास्ता निकाल दिया, जो रास्ता उनके [illegible] भूमि में से है। रास्ता की भूमि पर श्री जयसिंह द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा उसने तो अपनी पट्टा भूमि पर दीवार निकाली है। इस प्रकार अपील खारिज की जाए व रास्ता की भूमि जयसिंह के मकान को तुड़वाते हुऐ उसके मकान में से ली जाए। उक्त अपील की सुनवाई के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रत्यर्थी सं. 2 ने उपस्थित होकर जानकारी दी कि अपील में वर्णित रास्ता चालु था जिस पर श्री शैतानसिंह के वारिसान द्वा दीवार निकाली गई है। इस रास्ता में से ग्राम पंचायत द्वारा 40 वर्ष से भी अधिक समय से पेयजल की पाईप डाली हुई है तथा विधुत लाईन भी है। उक्त विधुत लाईन व पानी की पाईप की लाइन से काफी पुराने समय से भी जयसिंह के मकान में पानी व विधुत कनैक्शन भी वादग्रस्त जगह का माप करने हेतु श्रीमान विकास अधिकारी पचांयत समिति नोहर के निर्देश से श्री सुरेन्द्र गोदारा, अरसद हुसैन, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर, दिनेश भाम्भु ग्राम विकास अधिकारी, दलपतपुरा की टीम ने दिनांक 07.02.2023 को संरपच ग्राम पचांयत व हल्का पंटवारी दलपतपुरा को साथ लेकर मौतबिरान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया था उक्त मौका निरीक्षण में हल्का पटवारी द्वारा कृषि भूमि की हद के निशान दिये जहाँ से पूर्वी तरफ चिपती गली की भूमि को छोड़कर पश्चिम से पूर्व तक कुल 357 फिट जगह पाई गई जबकि वादग्रस्त स्थल के पट्टा धारको के पट्टो में अंकित माप को पुरा करने हेतु कुल 407 फिट भूमि की आवश्यकता होना बताया यानि वादग्रस्त स्थल पर 50 फीट भूमि कम पाई गई थी। इस प्रकार वादग्रस्त स्थल पर के जारी पट्टे तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा या तो सहबन से या भौतिक स्थिति का नाम किये बिना जारी होना पाये गये। उक्त 50 फिट कम जगह की पूर्ति सम्भव नही होने से शैतानसिंह के वारिसान द्वारा पूर्व से चालु रास्ता के उपर से अस्थाई दीवार तामिर की है। जिससे जयसिंह के घर व जयसिंह के घर से दक्षिणी तरफ चिपते भूखण्ड स्वामी का अपने–अपने भूखण्ड में अपना जाना भी सम्भव नही रहा है। श्री शैतानसिंह के पट्टो की भूमि व उक्त पट्टो के पश्चिम तरफ से जयसिंह के पट्टा की भूमि दोनो का नाप किये जाने पर 50 फीट जगह कम है। इसलिए दोनो के पट्टो को पुरा किया जाना सम्भव नही है। कब्जा अनुसार श्री जयसिंह के मकान के आगे से रास्ता हमेशा से चालु है जबकि श्री शैतानसिंह के वारिसान अपने पट्टे के पश्चिमी तरफ रास्ता होना बता रहे है व पट्टे मे माप अनुसार भूमि पूरी कर रास्ता भूमि जयसिंह कि निर्मित मकान में से होना बता रहे है।

मौका निरीक्षण कमेटी ने सुनवाई के दौरान मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की व बताया कि वादग्रस्त जगह गहन आवासीय क्षेत्र है। जिस [illegible] पुराने समय से लोगो के मकान बने हुऐ है। वादग्रस्त रास्ता [illegible] गढ़वाल, महावीर गढ़वाल, राजेन्द्र तेतरवाल, कृष्ण सुनील [illegible] आदि के नाम से पट्टे जारी है, जिन पर में से रामेश्वरलाल के पट्टा के भूखण्ड पर कृष्ण शंकर ने महावीर के नाम से जारी पट्टा के भूखण्ड पर जयसिंह रिहायशी मकान बनाकर निवास कर रहे है। उसके बाद राजेन्द्र, कृष्ण कुमार, सुनिल कुमार के पट्टे की भूमि के भूखण्ड़ खाली पडे है। उसके बाद हरदेवाराम के नाम से जारी पट्टा की भूमि पर प्रताप तेतरवाल मकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बनाकर निवास कर रहा है। उक्त सभी पट्टों से पूर्वी तरफ गली आम से जल व विधुत सम्बध है। विवादग्रस्त गली को कृष्ण, शंकर के गेट के दक्षिणी तरफ से लेकर आगे प्रताप तेतरवाल के गेट के उतरी तरफ तक उत्तर से दक्षिण 150 फीट माप में शैतान सिंह के वारिसान द्वारा अस्थाई दीवार निर्माण कर बन्द किया हुआ है। उक्त गली उत्तरी तरफ व दक्षिणी तरफ आज भी चालु है। मौका देखने के शैतानसिंह के वारिसान द्वारा चालु गली आम में दीवार निकाल कर बन्द किया जाना प्रतीत होता है।

बैठक में विचार विमर्श किया पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों व दस्तावेजो पर विचार किया मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पेश रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपीलाधीन पट्टा सं. 9 दिनांक 18.12.1960 जो भूमि विक्रय विलेख व पट्टा दिनांक 13.07.1969 जो आबादी भूमि का बैयनामा अन्तर्गत बहक शैतानसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर के नाम से दो अलग–अलग पट्टे जारी है उक्त पट्टो की भूमि पट्टा जारी होने से लेकर खाली भूमि पड़ी थी। जिस पर वर्तमान में शैतानसिंह के वारिसान द्वारा पट्टा मे वर्णित माप अनुसार गली की भूमि को शामिल करते हुऐ अस्थाई दीवार तामिर की है। जिससे सदामत से चालु रास्ता बन्द हो गया है। उक्त रास्ता पश्चिमी तरफ से निवासियों का अपने घर से आना जाना भी बन्द हो गया है। रास्ता सदामत से चालु था, जो सार्वजनिक हित का है। श्री शैतानसिंह के पक्ष मे जारी पट्टो में वर्णित माप अनुसार गली की भूमि को शामिल कर लिये जाने पर भी पट्टे का माप पूर्ण नही होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया श्री शैतानसिंह के पक्ष में जारी दोनो पट्टे भौतिक स्थिति का निरीक्षण किये बिना घर बैठे बनाये जाने प्रतीत है। इस प्रकार उक्त पट्टो को गली की भूमि की हद तक खारिज कर दिया गया जाना उचित होगा। उक्त विवेचन के आधार पर माननीय सदस्यगण का विनम्र मत है कि अपीलाधीन पट्टे दिनांक 18.12.1969 व दिनांक 13.07.1969 जो प्रत्यर्थी सं. 1 (शैतानसिंह) के नाम से अलग–अलग जारी है परन्तु पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर अत्यर्थी सं. 1 या उनके वारिसान का पट्टो में वर्णित माप अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड पर कभी कब्जा नही रहा है तथा पट्टो में वर्णित माप अनुसार भूखण्ड पूरा करने हेतु गली आम की भूमि को शामिल कर लिये जाने पर भी पट्टो का माप पूर्ण नही होता है। उक्त पट्टो की [illegible] पश्चिमी तरफ सदामत से गली आम चालु है, जो गली उत्तर [illegible] को मिलाती है, जो गली उक्त दोनो पट्टो की भूमि के उत्तरी तरफ करीब [illegible] माप व दक्षिणी तरफ करीब 20 फिट माप में चालु है। इस प्रकार उपरोक्त दोनो [illegible] बिना भौतिक निरीक्षण किये बने होने से पूर्व चालु रास्ता की भूमि तक के माप में खारिज किये जाने न्यायोचित होने के पट्टा सं. 9 दिनांक 18.12.1969 में से पश्चिमी हिस्सा जो उत्तरी तरफ 50 फिट माप में व दक्षिणी तरफ 40 फिट माप तक का व पट्टा दिनांक 13.07.1969 मे से पश्चिमी तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

का हिस्सा जो उक्त पट्टा के उत्तरी तरफ 40 फिट व आगे चलकर दक्षिणी तरफ 20 फीट माप तक पट्टा खारिज कर दिया जावे एवं मातहत अदालत द्वारा आंशिक पट्टा खारिज कर दिया गया एवं जिसके कारण आवदेकगण व्यक्ति है।

मातहत अदालत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाऐ तथा बिना सही आधार के विधि विरूद्व तरीके से निगरानी कर्ता के पिता के नाम से जारी पट्टा को आंशिक रूप से अपास्त किया है, जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होती है। इसलिए आवेदकगण निर्णय दिनांक 280.07.2023 को अपास्त करने हेतु यह निरगानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है–

1. निर्णय दिनाक 28.07.2023 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम व वाक्यात रूहदाद मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के खिलाफ तथा निर्णय दिनांक 2827/2023 काबिल खारीज है।

2. मातहत अदालत ने बिना किसी विश्लेषण के कतई मनमाना स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्व निर्णय पारित किया है।

3. पट्टा संख्या 9 दिनांक 18.12.1969 व पट्टा दिनांक 13.07.1969 को आवेदकगण के पिता शैतानसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा के पक्ष में जारी किये गये थे एवं ग्राम पंचयत द्वारा 5 वर्षो पूर्व आवेदकगण के पिता के पक्ष मे पट्टे जारी किये गये थे एवं पटटा दिनांक 13.07.1969 ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय के आधार पर जारी किय गया था। एवं पटटा सं. 9 दिनांक 18.12.1969 को पंचायत राज अधिनियम के नियम 266 के तहत जारी किया गया था। एंव दोनो पटटो में आसा– पासा वर्णित है एवं आवेदकगण के पिता पक्ष मे जारी पटटो को 54 वर्ष के बाद खारिज करने में कतई कानूनी भूल की है। मातहत अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय पारित करते समय शैतानसिंह पुत्र रावतसिंह के समस्त वारिसान को पक्षकार [illegible] उक्त पटटे पर सैतानसिंह पुत्र रावतसिंह के समस्त वारिसान काबिज [illegible] वारिसान के पक्षकार संयोजित नही किया गया है तथा ना ही समस्त पक्षकार को सुना गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय की सिद्धान्तों के विपरित [illegible] निर्णय पारित किया गया है एवं कानूनन समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. मातहत अदालत द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई गई है तथा आबादी की भूमि पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश की गई दर्शाया गया है जबकि आबादी भूमि की पैमाईश पटवारी हल्का द्वारा नही कि जा सकती है एंव प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा मौका देखा ही नही गया है तथा मात्र टेबल रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा आवेदकगण को कोई सूचना एंव सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया । इसलिए मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है ।

6. मातहत अदालत में आवेदकगण संख्या 4 ने अभिकथन किया कि उनके पटटे शुदा भूमि के पश्चिमी तरफ सड़क आम की भूमि व उसके पटटा की भूमि को शामिल करते हुऐ जयसिंह पुत्र अमीलाल ने निर्माण कर लिया व जयसिंह ने अपनी निर्माण की पूर्वी तरफ उनकी पटटा की भूमि में से रास्ता निकाल लिया हे जो रास्ता में उनके पूर्व से जारी पटटा की भूमि में से है रास्ता की भूमि पर जयसिंह द्वारा अतिक्रमण कर लिया है तथा जयसिंह ने पटटा की भूमि पर दिवार निकाली है तथा रास्ता की भूमि पर जयसिंह द्वारा रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर, जिला हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2023 प्रकरण सं. 13/2018 बअनवानी जयसिंह बनाम रूधनाथ सिंह में विवाधक संख्या 1, 2, 3 में स्पष्ट से निर्णय पारित किया है कि जयसिंह ने वास्तविक नाप व स्थान से विचलित होकर पूर्वी और आगे बढते हुऐ पाया जाने के कारण प्रार्थी जयसिंह के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है तथा प्रार्थी जयसिंह द्वारा गली आम की भूमि पर कब्ज होना माना गया है जबकि अनावेदक सं. 1 ता 2 द्वारा राजनेतिक रूप एवं रजिंश वंश केवल सैतानसिंह को प्रत्यर्थी बनाया गया है। जयसिंह पुत्र अमीलाल, जो कि अपील में आवश्यक रूप पक्षकार सयोंजित होना था उसे पक्षकार नही बनाया गया। मातहत अदालत द्वारा केवल राजनेतिक द्वेषता से वंशीभुल होकर निर्णय पारित किया है, जो कि अपास्तनीय है।

7. अपीलार्थीगण केवल एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनका सार्वजनिक हित न होकर राजनैतिक ज्यादा है तथा अपीलार्थीगण आवेदकगण से राजनेतिक रूप से रजिंश रखते है तथा मातहत अदालत से दुरूरभि सन्धि करके निर्णय पारित किया करवाया है, जो कि अपास्तनीय है।

8. मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को आवेदकगण को ज्ञान नही था तथा ना ही आवेदकगण के निर्णय की कोई सूचना नहीं दी, आवेदकगण मातहत अदालत में निर्णय के बारे में पुछताछ करने आया तो पता चला कि निर्णय आवेदकगण के विरूद्व हो चुका है तथा अगले दिन प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के आवेदकगण निगरानी प्रस्तुत कर रहा है परिस्थिति के कारण आक्षेपित निर्णय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ)

चुनौती देने से परिसीमा की अवधि कही आड़े नही आती है, फिर भी तकनीकी त्रुटियो से बचने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रश्नगत अपील के साथ पृथक्ता से प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2023 में साक्ष्य वादी में महावीर ने अपनी जिरह में स्वीकार किया, कि वह उतर से दक्षिण 50 फुट एवं पूर्व से पश्चिम 25 फुट, मुल जगह 1250 फुट थी आगे महावीर जिरह में स्वीकार करता है कि शंकरलाल द्वारा मकान बनाया गया वो गली आम पर अतिक्रमण किया था और इस समस्त में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 व गांव के अन्य व्यक्तियों ने पंचायत समिति नोहर में प्रार्थना पत्र भी पेश किया जयसिंह न मकान बनाया व अपने पीछे की जगह छोड़कर शंकरलाल के बराबर आम गली में मकान बनाकर अतिक्रमण किया । मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया राजनेतिक द्वेषता से निर्णय पारित किया है जो कि अपास्तनीय है।

10. मातहत अदालत द्वारा दो पट्टो का एक साथ निर्णय पारित किया है जबकि दोनो पट्टो अलग–अलग दिनांक पर जारी किये गये थे इनकी अलग–अलग अपील कि जानी चाहिए थी परन्तु मातहत अदालत द्वारा एक ही निर्णय में आदेश पारित किया, जो कि काबिल खारीज योग्य है।

11. निगरानी काबिल समाअत अदालत है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है ।

लिहाजा यह निगरानी आवेदकगण/प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदकगण स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.07.2023 मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 ता 3 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवाकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–04 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति समिति, पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर काबिज है। भूखण्ड का पट्टा 18.12.1969 एंव 13.07.1969 को प्रार्थीगण के पिता शैतानसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर के नाम से दो अलग–अलग पट्टे जारी किये गये। पट्टा दिनांक 13.07.1969 को ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

पंचायत द्वारा विक्रय के आधार पर जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में शैतानसिंह पुत्र रावतसिंह के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया एंव न ही समस्त पक्षकार को सुना गया जबकि उक्त पट्टे पर शैतानसिंह पुत्र रावतसिंह के वारिसान काबिज है। आबादी भूमि सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया जबकि हल्का पटवारी द्वारा आबादी भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका देखा नही गया एंव न ही प्रार्थीगण को मौके पर बुलाया गया और मौका रिपोर्ट देखनें बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो पट्टो का एक साथ निर्णय किया गया जो कि अलग – अलग दिनांक को जारीशुदा थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति नोहर द्वारा दिनांक 28.07.2023 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सदामत से चालू रास्ते को बन्द किया गया है जिससे अप्रार्थीगण एंव गांव के आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते के बीच में पेयजल की पाईप लाईन मौजूद है, जो कई वर्ष पहले बिछाई गई थी। इस पाइप लाईन से पेयजल कनैक्शन भी किये हुये है। इसी रास्ते में विधुत सप्लाई हेतु पोल भी लगे हुये है। यदि यह रास्ता कभी चालू नहीं था तो पाइप लाईन एंव विधुत पोल रास्ता के बीच क्यों लगाये गए है। दिनांक 18.12.1969 एंव 13.07.1969 को जारी पट्टा में वर्णित माप की भूमि उपलब्ध ही नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि निगरानीधीन पट्टे मौके पर उपलब्ध भूमि के भौतिक निरीक्षण किये बिना जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2023 को पारित निर्णय विधि सम्मत एंव नियमानुसार है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–04 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि नि[illegible] पट्टों में वर्णित माप की भूमि ही वहां उपलब्ध ही नहीं है। पंचायत समिति की मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन करने पर पाया कि शैतानसिंह के पट्टेशुदा भूखण्ड के उत्तर दिशा एंव दक्षिण दिशा में वर्तमान में आम रास्ता/ गली चालू है। जिसमें आम रास्ता/गली उत्तर दिशा से दक्षिण की दिशा की ओर जा रही है। शैतानसिंह के दोनो पट्टो के 50–40 फुट एंव 40–20 फुट भाग गली में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आम रास्ता जो कई वर्षों से चला आ रहा है एंव पेयजल पाइप लाइन एंव विधुत पोल लगे हुये है। इससे साबित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा आम रास्ता/गली पर अतिक्रमण किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2023 को पारित निर्णय विधि सम्मत एंव न्यायोचित है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:29:27 IST
Reason: SelfAttested